

मैसर्स हिंदुस्तान पॉली पैक्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एम.एम. कुमार, जे.)

15

माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार और जसवन्त सिंह के समक्ष

मैसर्स हिंदुस्तान पॉलीपैक्स

-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,

-उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. 1998 का क्रमांक 14411

14 दिसंबर 2009

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा सामान्य विक्रियकर अधिनियम, 1973-धारा 13-बी-हरियाणा सामान्य बिक्री कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1989- नियम 28ए(2)--विक्रियकर छूट के लिए दावा-एलएलएससी ने अनुसूची III के अनुसार उद्योगों की नकारात्मक सूची में आने वाले याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया- एचएलएससी ने याचिकाकर्ता की अपील को भी खारिज कर दिया है- नियमों के नियम 28ए का उप नियम 4 (ए) बताता है कि याचिकाकर्ता उनके विकल्प के अनुसार या तो वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या छूट/पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से कर छूट का लाभ का दावा कर सकता है- ऐसा विकल्प अपरिवर्तनीय नहीं है - नियम 28ए के उप नियम 4 (ए) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, खासकर जब प्रावधान की तुलना उप नियम 3 से की जाती है - उप नियम 3 के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि एक विकल्प का प्रयोग पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा या तो कर छूट या स्थगन का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और एक बार विकल्प का प्रयोग अंतिम निर्णय माना जाएगा-बिक्री कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन दायर करने की तारीख पर याचिकाकर्ता की इकाई सभी प्रकार से पात्र है, इसलिए, छूट या तो पात्रता/छूट प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दी जा सकती है - केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने नकारात्मक सूची में होने पर व्यावसायिक उत्पादन की तारीख का विकल्प चुना, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इसे पात्रता/ छूट प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से नहीं दिया जा सकता क्योंकि नियम

अनिवार्य नहीं है -जब याचिकाकर्ता के उद्योग को नकारात्मक सूची में रखने की बाधा हटा दी गई है, 'एलएलएससी' पात्रता/छूट प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से बिक्री कर से छूट देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है - याचिका स्वीकार की गई, 'एलएलएससी' और 'एचएलएससी' द्वारा पारित आदेशों को कानून की नजर में अस्थिर माना गया और रद्द कर दिया गया।

निर्धारित किया गया कि नियमों के नियम 28ए के उपनियम 4(ए) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने विकल्प के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या छूट/पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से कर छूट का लाभ का दावा कर सकता है। उपरोक्त विकल्प अपरिवर्तनीय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा इसका दावा हमेशा पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से किया जा सकता है। नियमों के नियम 28ए के उपनियम 4(ए) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, खासकर जब प्रावधान की तुलना नियम 28ए के उपनियम 3 से की जाती है। उप-नियम 3 के अवलोकन से पता चलेगा कि एक पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा कर छूट या स्थगन का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। नियम के निर्माता ने आगामी उप-नियम 4(ए) में अनिवार्य भाषा का उपयोग नहीं किया है और यह प्रावधान किया है कि एक बार प्रयोग करने के बाद विकल्प को अंतिम माना जाएगा।

(पैरा 19)

आगे निर्धारित किया गया याचिकाकर्ता की इकाई उस तारीख को सभी प्रकार से पात्र है जब बिक्री कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन दायर किया गया था। तदनुसार, छूट या तो पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दी जा सकती है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख को चुना है, जब वह नकारात्मक सूची में थी, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इसे पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से नहीं दिया जा सकता है क्योंकि नियम अनिवार्य नहीं है। इसलिए, 'एलएलएससी पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से बिक्री कर से छूट देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य थी, जब याचिकाकर्ता के उद्योग को नकारात्मक सूची में रखने की बाधा हटा दी गई थी। यह माना जाता है कि एलएलएससी द्वारा 28 अक्टूबर, 1994 को पारित आदेश और एचएलएससी द्वारा 5 अगस्त 1995 को पारित आदेश कानून की नजर में ठीक नहीं है और रद्द किये जाने योग्य है।

(पैरा 20)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, संदीप गोयल।

उत्तरदाताओं की ओर से आर. डी. शर्मा, डीएजी, हरियाणा।

**एम. एम. कुमार, जे.**

1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर यह याचिका 28 अक्टूबर, 1994 (पी-10) के आदेश को चुनौती देती है जो निचले स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी (संक्षिप्तता के लिए "एलएलएससी") द्वारा जारी किया गया व जिसमें बिक्री कर छूट के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की इकाई 11 फरवरी 1994 से पहले उत्पादन में चली गई थी और उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना, दिनांक 11 फरवरी 1994 (पी-9) को ध्यान में रखते हुए यह उक्त लाभ के लिए योग्य नहीं है। एलएलएससी द्वारा यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता की इकाई 11 फरवरी 1994 से पहले हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') की अनुसूची III में संलग्न उद्योगों की नकारात्मक सूची में थी। 5 अगस्त, 1998 (पी-12) को पारित आदेश को भी चुनौती दी गई है। उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (संक्षिप्तता के लिए "एचएलएससी") ने 28 अक्टूबर, 1994 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाकर्ता की अपील को 5 अगस्त, 1998 (पी-12) के आदेश के तहत खारिज कर दिया।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 1988 में हरियाणा राज्य ने एक औद्योगिक नीति बनाई और कुछ उद्योग, जो 1 अप्रैल, 1988 के बाद स्थापित किये गये थे, को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी। चूंकि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (संक्षिप्तता के लिए "एचजीएसटी अधिनियम") में छूट का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, इसलिए, प्रतिवादी राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने की दृष्टि से, 1988 के हरियाणा अधिनियम संख्या 26 के तहत धारा 13-बी को एचजीएसटी अधिनियम में शामिल किया गया था जो हरियाणा राज्य को उद्योग के किसी भी वर्ग को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देने का अधिकार देता है। 17 मई, 1989 को हरियाणा राज्य ने नियमों में संशोधन करते हुए हरियाणा सामान्य बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1989 को अधिसूचित किया। मौजूदा नियमों के अध्याय IV के बाद, अध्याय IV- ए को "उद्योगों की श्रेणी, कर के भुगतान से छूट/स्थगन के लिए अवधि और अन्य शर्तें" शीर्षक के साथ जोड़ा गया था। नियम 28ए को भी नियमों में शामिल किया गया है। नियमों का नियम 28ए(2) "संचालित अवधि", "नए औद्योगिक इकाई", "योग्य औद्योगिक इकाई", "स्क्रीनिंग समिति", "मध्यम और बड़े

पैमाने पर उद्योग”, ” पात्रता प्रमाणपत्र”, ”छूट प्रमाणपत्र”, ”नोशनल बिक्री कर दायित्व” और ”नकारात्मक सूची” सहित विभिन्न अभिव्यक्तियों के अर्थ को परिभाषित करता है जो मुद्दों के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं जो तत्काल याचिका में उठाया गये हैं। नियम 28ए(4) कर छूट के लाभ या स्थगन से संबंधित है और प्रावधान है कि वह उस पात्र औद्योगिक इकाई को दिया जाएगा, जिनके पास छूट या पात्रता प्रमाण पत्र है, जैसा भी मामला हो जो विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक सीमा और अवधि के लिए हो सकता है। जोन 'ए', 'बी' और 'सी' के अंतर्गत आने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिए कर छूट/कर स्थगन की मात्रा और अवधि का विवरण और साथ ही विस्तार/विविधीकरण का इरादा रखने वाली ऐसी इकाइयों से संबंधित विवरण भी नियम 28 ए(4) में दिया गया है। नियम 28ए(5) इस नियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया बताता है जबकि नियम 28ए(7) साल-दर-साल आधार पर छूट प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अनुसूची-III में नियम 28ए(2)(7) खंड (o) के अंतर्गत उद्योगों/उद्योगों के वर्ग का विवरण दिया गया है, जो नकारात्मक सूची में हैं।

3. नियम 28ए के उपनियम (2) के खंड (o) का प्रभाव यह है कि अब उद्योग विभाग समय-समय पर उन उद्योगों की श्रेणी की सूची अधिसूचित करता है जो बिक्री कर छूट/स्थगन, पूंजी निवेश सब्सिडी और बिजली शुल्क आदि, की प्रकृति में प्रोत्साहन अनुदान के हकदार नहीं होंगे। ऐसी नकारात्मक सूची के आधार पर हरियाणा राज्य की विभिन्न एजेंसियां उन औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर कार्रवाई करती हैं जो प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहती हैं। 11 जनवरी, 1991 को उद्योग विभाग ने उन उद्योगों की श्रेणी को अधिसूचित किया जो 1988 की औद्योगिक नीति (पी-1) के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी के अनुदान के लिए पात्र नहीं थे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि नियमावली के नियम 28ए के प्रख्यापन के बाद, उद्योग विभाग ने 3 जनवरी, 1991 और 19 जून, 1991 को दो नकारात्मक सूचियाँ जारी कीं। इसमें उन उद्योगों का वर्ग शामिल है जो बिक्री कर छूट/स्थगन के अनुदान के लिए अयोग्य थे।
4. वर्ष 1992 में हरियाणा राज्य द्वारा एक अन्य औद्योगिक नीति बनाई गई थी- "नई औद्योगिक नीति 1992"। 1992 की नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के वर्ग की एक नकारात्मक सूची 9 मार्च 1992 को अधिसूचित की गई थी जिसने पहले की नकारात्मक सूचियों (पी-2) को हटा दिया है। 25 मई 1993 को, राज्य हरियाणा के उद्योग विभाग ने एक और अधिसूचना जारी कर सूचित किया है कि उसमें उल्लिखित उद्योगों को नकारात्मक सूची में रखा गया है और वे बिक्री कर छूट/स्थगन सहित किसी भी प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे। यह विशेष रूप से आगे उल्लेख किया गया है कि उक्त अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी और उसमें मौजूद सूची उन औद्योगिक इकाइयों पर लागू नहीं होगी जो ग्रामीण उद्योग योजना (पी-3) के तहत स्थापित हुई हैं। याचिकाकर्ता का यह दावा

है कि 25 मई, 1993 की अधिसूचना ने नकारात्मक सूची जिसे 9 मार्च, 1992 को अधिसूचित किया गया था, का स्थान ले लिया गया है। इस स्थिति में यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता एक साझेदारी फर्म है जो एचडीपीई/पीपी बुने हुए बोरे और पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता की विनिर्माण इकाई को 25 मई, 1993 से नकारात्मक सूची से बाहर कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ताओं जैसे उद्योग, जो पॉलिथीन बैग और शीट का निर्माण कर रहे थे, उन्हें 25 मई, 1993 से हरियाणा राज्य द्वारा नई औद्योगिक नीति, 1992 के तहत बिक्री कर छूट/स्थगन सहित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र बना दिया गया था।

5. उद्योग विभाग द्वारा जारी दिनांक 25 मई, 1993 की अधिसूचना के अनुसरण में उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग-प्रतिवादी संख्या 1 ने नियमों की अनुसूची-III में संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू की और 13 अक्टूबर, 1993 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें अनुसूची-III में संशोधन हेतु प्रारूप नियमों का प्रकाशन जारी किया गया तथा आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किये गये (पी-4)। उल्लेखनीय रूप से, मसौदा नियमों में पॉलिथीन बैग और शीट्स के निर्माण में लगे उद्योगों के वर्ग को शामिल नहीं किया गया था, जैसे कि याचिकाकर्ता की इकाई को नकारात्मक सूची में रखा गया था। 13 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचना में अनुसूची-III में 25 मई, 1993 (अर्थात् उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1993 के लागू होने का दिन) से पुनः प्रभावी संशोधन करने का इरादा भी दर्शाया गया था।
6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 1992 की नई औद्योगिक नीति के तहत घोषित प्रोत्साहनों की उपलब्धता से प्रेरित होकर, याचिकाकर्ता ने करनाल में एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के बारे में भी सोचा और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के बाद संबंधित अधिकारियों को अपने आवेदन प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता को उत्पादन शुरू होने की तारीख, 20 दिसंबर, 1993 (पी-5), से बिजली शुल्क से छूट दी गई थी। इसके द्वारा खरीदे गए जनरेटिंग सेट (पी-6) पर पूंजीगत सब्सिडी दी गई थी। करनाल में औद्योगिक संपदा में एक औद्योगिक भूखंड भी आवंटित किया गया (पी-7) और उद्योग चलाने के लिए 24 सितंबर 1993 को हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा लगभग 10 लाख रुपये (पी-8) का ऋण दिया गया। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त सभी लाभ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिए गए थे। करनाल-प्रतिवादी संख्या 4 जिसने 25 मई, 1993 और 13 अक्टूबर, 1993 (पी-3 और पी-4) की अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता का मामला की सिफारिश की थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने करनाल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित की और एक लघु औद्योगिक इकाई के रूप में पंजीकरण के लिए प्रतिवादी संख्या 4 के पास आवेदन किया। इसे पंजीकरण संख्या 050503786. दिनांक 24 अगस्त, 1993 के माध्यम से एक लघु उद्योग के रूप में अनंतिम रूप से

पंजीकृत किया गया था। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसे नियमित पंजीकरण संख्या 050526786, दिनांक 27 दिसंबर, 1993 भी प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता की औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 20 दिसंबर, 1993 को शुरू हुआ।

7. 11 फरवरी, 1994 को याचिकाकर्ता ने पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को निर्धारित फॉर्म एसटी -70 में आवेदन किया, जिससे वह नियमों के नियम 28 ए के तहत बिक्री कर छूट का लाभ उठा सके, जो कि वाणिज्यिक उत्पादन से 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर था। 11 फरवरी, 1994 को ही, उत्पाद एवं कराधान विभाग, हरियाणा ने 11 फरवरी, 1994 से संभावित रूप से अनुसूची-III में संशोधन करने वाली एक अधिसूचना जारी की (पी-9)। परिणामस्वरूप पॉलिथीन बैग और शीट बनाने वाले उद्योगों की श्रेणी को 11 फरवरी, 1994 से अनुसूची-III में निहित नकारात्मक सूची से बाहर कर दिया गया।
8. 28 अक्टूबर 1994 को प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि बिक्री कर छूट देने के लिए उसके आवेदन पर 'एलएलएससी' द्वारा विचार किया गया और खारिज कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता की औद्योगिक इकाई नियमों की अनुसूची-III (पी-10) के अनुसार उद्योगों की नकारात्मक सूची में आ गई थी। 24 नवंबर, 1994 को याचिकाकर्ता ने 'एचएलएससी' के समक्ष 28 अक्टूबर, 1994 के आदेश (पी11) के खिलाफ नियमों के नियम 28ए(5)(1) के तहत अपील दायर की। चार साल बाद, 'एचएलएससी' ने 5 अगस्त, 1998 (पी-12) के आदेश के जरिए अपील खारिज कर दी। 'एचएलएससी' के निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता के वकील को 14 अक्टूबर, 1998 को दी गई (पी-13)।
9. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित बयान में यह रुख अपनाया गया है कि बिक्री कर छूट का प्रोत्साहन केवल एक रियायत है और यह याचिकाकर्ता को कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करता है। बिक्री कर भुगतान और वसूली के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं अंतिम हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी 17, मई, 1989 की अधिसूचना अंतिम है और वर्तमान मामले पर लागू है। अधिसूचना दिनांकित 11 फरवरी, 1994 का याचिकाकर्ता के मामले में कोई आवेदन नहीं होगा क्योंकि यह उन उद्योगों पर लागू होता है जो अस्तित्व में 11 फरवरी, 1994 या उसके बाद आए। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन 20 दिसंबर, 1993 को शुरू किया गया था और उस समय यह नकारात्मक सूची में था। इसलिए, बिक्री कर में छूट के लिए पात्र नहीं है। आगे कहा गया है कि 17 मई, 1989 की अधिसूचना के अनुसार, नियमों के नियम 28ए के तहत बिक्री कर छूट की मांग के लिए परिचालन अवधि 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च, 1997 तक है। फिर भी, नियमों की अनुसूची-III के अनुसार नकारात्मक सूची में शामिल उद्योग छूट के लाभ के हकदार नहीं हैं। याचिकाकर्ता फर्म पॉलिथीन बैग और शीट के

निर्माण में लगी हुई है, जो नकारात्मक सूची में है और इस तरह याचिकाकर्ता बिक्री कर में छूट का लाभ पाने का हकदार नहीं है। तदनुसार, याचिकाकर्ता के आवेदन और अपील को क्रमशः "एलएलएससी" और "एचएलएससी" द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसी तरह की पंक्तियों पर एक अलग लिखित बयान भी प्रतिवादी नंबर 2,3 और 4 द्वारा दायर किया गया है।

10. श्री संदीप गोयल, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 1992 में घोषित नई औद्योगिक नीति और उसमें घोषित विभिन्न रियायतों के अनुसरण में पॉलिथीन बैग और शीट की अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित की थी। विद्वान वकील के अनुसार इसे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख, 20 दिसंबर, 1993 से बिजली शुल्क से छूट दी गई थी और इसके द्वारा खरीदे गए जेनरेटिंग सेट पर सब्सिडी भी दी गई। उन्होंने याचिका के पैरा 10 में दिए गए विभिन्न कथनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और तर्क दिया है कि औद्योगिक एस्टेट करनाल में औद्योगिक भूखंड भी अनुबंध पी.7 के तहत आवंटित किया गया और औद्योगिक इकाई चलाने के लिए हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा लगभग 10 लाख रुपए (पी-8) का ऋण दिया गया और वे लाभ याचिकाकर्ता को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जारी किए गए थे। इसलिए, एक बार जब याचिकाकर्ता ने पात्रता प्रमाण पत्र देने और बिक्री कर छूट का लाभ उठाने के लिए 11 फरवरी, 1994 को निर्धारित फॉर्म एसटी 70 में आवेदन किया है, तो उत्तरदाताओं के पास लाभ से इनकार करने का कोई कारण नहीं था, खासकर जब 11 फरवरी, 1994 को पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माण से संबंधित उद्योग को नकारात्मक सूची से हटा दिया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित होगा और इस संबंध में उन्होंने **बिहार राज्य बनाम सुप्रभात स्टील लिमिटेड और अन्य (1)** और **पंजाब राज्य बनाम मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड (2)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। तर्क दिया गया कि इसी तरह की परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वचनबंधन के सिद्धांत को लागू किया गया था जैसा कि 43 के पैरा 24 को पढ़ने से स्पष्ट होगा।
11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री संदीप गोयल ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता जैसे पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माताओं को 25 मई, 1993 को औद्योगिक विभाग द्वारा नकारात्मक सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसी तरह, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग ने 13 अक्टूबर, 1993 (पी-4) की अधिसूचना के माध्यम से मसौदा नियमों को प्रकाशित किया है, जिसमें आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं कि पॉलिथीन बैग और शीट के विनिर्माण उद्योगों को 25 मई, 1993 से नकारात्मक सूची से बाहर क्यों न किया जाए। हालाँकि, 11 फरवरी, 1994 की अधिसूचना (पी-9) द्वारा इसे अवैध रूप से नकारात्मक सूची से हटा दिया गया था। इसे 25

(1) 1999 (152) एस.टी.सी. 258

(2) 2004 (136) एस.टी.सी. 35=2004 (6) एस.सी.सी. 465

मई, 1993 से लागू किया जाना चाहिए था। विद्वान वकील के अनुसार याचिकाकर्ता ने 11 फरवरी, 1994 को एक आवेदन दिया जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 90 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर नियम 28ए(5) के तहत छूट की मांग की गई थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार नियम 28ए के खंड (2)(ए) के तहत परिचालन अवधि 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च, 1997 तक है और नियमों के नियम 28ए के खंड 2(सी) के अर्थ के भीतर एक नई इकाई हमेशा वाणिज्यिक उत्पादन के 90 दिनों के भीतर छूट के लिए आवेदन कर सकती है। उन्होंने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की इकाई 20 दिसंबर, 1993 को वाणिज्यिक उत्पादन में चली गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा 11 फरवरी, 1994 को दायर किया गया आवेदन नियमों के नियम 28 ए (5) के अर्थ के तहत वाणिज्यिक उत्पादन से 90 दिनों के भीतर था और यह परिचालन अवधि के दौरान किया गया था। इसलिए, एलएलएससी द्वारा 28 अक्टूबर, 1994 को पारित आदेश (पी-10) और एचएलएससी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 अगस्त, 1998 (पी-12) रद्द किए जाने योग्य हैं।

12. विद्वान वकील द्वारा किया गया एक और निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता ने अपने ग्राहकों से कोई कर नहीं लिया है, जो याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता को दिखाता है कि यह हर समय इस उम्मीद में था कि उसके द्वारा किया गया दावा सराहनीय है और इसलिए, अनुचित संवर्धन का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता।
13. दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील श्री आर.डी. शर्मा ने तर्क दिया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन किया है, लेकिन उसने 20 दिसंबर, 1993 से छूट देने के विकल्प का प्रयोग किया है जब पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माता अभी भी नकारात्मक सूची में थे। इसके अनुसार पॉलिथीन बैग और शीट का कोई भी निर्माता 20 दिसंबर, 1993 को पात्र नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि नियम 28ए(4)(ए) द्वारा या तो उत्पादन की तारीख से या प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता की इकाई ने उत्पादन की तारीख से आवेदन करने का विकल्प चुना है जब वह नकारात्मक सूची में आ गई थी इसलिए, इसमें छूट नहीं दी जा सकती। जहां तक मसौदा नियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव का सवाल है, श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया है कि मसौदा नियम केवल एक प्रस्ताव था और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। विद्वान वकील के अनुसार मसौदा नियमों को अंततः 11 फरवरी, 1994 (पी-9) को अधिसूचित किया गया एवं भूतलक्षी प्रभाव से संबंधित प्रावधान सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए, यह दावा नहीं किया जा सकता है कि मसौदा नियम, जो नकारात्मक सूची से बाहर पॉलिथीन बैग और शीट जैसी वस्तुओं के पूर्वव्यापी संचालन के लिए प्रदान करता है, पूर्वव्यापी तिथि से संचालित होगा।
14. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हमने पाया कि कर के भुगतान से कर छूट पाने के लिए याचिकाकर्ता का अधिकार नियमों के नियम 28ए के उपनियम 3,4 और 5 पर निर्भर होगा।



नियमों के नियम 28ए के उपनियम 3 और उपनियम 4(ए) को पढ़ना जरूरी है जो इस प्रकार हैं:

(3) "विकल्प" एक पात्र औद्योगिक इकाई या तो कर छूट या स्थगन का लाभ लेने का विकल्प चुन सकती है। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा, सिवाय इसके कि इसे शेष अवधि के लिए छूट से स्थगन में एक बार बदला जा सकता है और लाभ की मात्रा संतुलित की जा सकती है।

(4) (ए) इस नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, कर छूट या स्थगन का लाभ, छूट या पात्रता प्रमाणपत्र रखने वाली पात्र औद्योगिक इकाई को दिया जाएगा जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या पात्रता/छूट प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से वर्ष-दर-वर्ष तक की अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, नीचे दिया गया विकल्प चुना जा सकता है।

### कर छूट/कर स्थगन की मात्रा और अवधि

#### (i) नई औद्योगिक इकाइयाँ

1. ज़ोन का नाम और उसमें शामिल क्षेत्र	छोटा पैमाना	मध्यम पैमाना बड़ा पैमाना इकाई	समय
1	2	3	4
1. ज़ोन "सी" में फ़रीदाबाद और बल्लभगढ़ परिसर प्रशासन शामिल	1. तय पूंजी निवेश का 100%	1. तय पूंजी निवेश का 90%	5 साल

XX XX XX XX XX XX

बशर्ते कि छूट के मामले में लाभ सकल टर्नओवर पर कर तक विस्तारित होगा और स्थगन के मामले में, यह इकाई द्वारा निर्मित माल के कर योग्य टर्नओवर पर कर तक विस्तारित होगा।

बशर्ते कि विस्तार या विविधीकरण के मामले में केवल मौजूदा इकाई की विस्तारित या विविध क्षमता ही इस नियम के तहत 24( छूट या स्थगन) की हकदार होगी और इन नियमों में किसी भी विपरीत बात के बावजूद भी, बिक्री कर पंजीकरण के प्रयोजन के लिए एक विस्तारित या विविध क्षमता को स्वतंत्र इकाई माना जाएगा और ऐसी प्रत्येक औद्योगिक इकाई को एक अलग पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।"

15. नियम के उपरोक्त उद्धरणों के अवलोकन से पता चलता है कि कर छूट या स्थगन का लाभ एक पात्र औद्योगिक इकाई को उपलब्ध है, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से, जैसा कि विकल्प चुना जा सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष-दर-वर्ष अवधि के लिए छूट या पात्रता प्रमाण पत्र

जारी किया गया। औद्योगिक इकाई उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार कर छूट या स्थगन का लाभ उठाने का विकल्प चुनने की हकदार है। यह रिकॉर्ड में आया है कि छूट या स्थगन की परिचालन अवधि 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च, 1997 तक है।

16. नियमों के नियम 28-ए के उप-नियम 5(ए) द्वारा प्रदान किए गए लाभ का लाभ उठाने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

“5(ए) प्रत्येक पात्र औद्योगिक इकाई जो इस नियम के तहत लाभ प्राप्त करने की इच्छुक है, उसे वाणिज्यिक उत्पादन में या इस नियम के लागू होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से 90 दिनों के भीतर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को तीन प्रतियों में फॉर्म एसटी 70 में उल्लिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन करना होगा।। समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण या गलत ब्यौरे के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों सहित एक आवेदन को आवेदन नहीं किया गया माना जाएगा यदि आवेदक इस संबंध में उसे दिए गए अवसर पर इसे पूरा करने में विफल रहता है। “

17. उपरोक्त नियम के अनुसार प्रत्येक पात्र औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन में आने की तारीख से 90 दिनों के भीतर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ फॉर्म एसटी 70 में आवेदन करना आवश्यक है। ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा यदि इसे निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो। इसी प्रकार यदि आवेदक अवसर दिए जाने के बाद भी इसे पूरा करने में विफल रहता है तो अपूर्ण या अपूर्ण विवरण के साथ आवेदन नहीं किया गया माना जाएगा।

18. याचिकाकर्ता ने पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माण के लिए 1992 की औद्योगिक नीति के अनुसरण में अपनी इकाई स्थापित की थी। उक्त उद्योग 9 मार्च, 1992 को नकारात्मक सूची में था लेकिन औद्योगिक विभाग द्वारा 25 मई 1993 को नकारात्मक सूची से हटा दिया गया। अंततः उत्पाद एवं कराधान विभाग द्वारा नियम 28-ए में संशोधन करके इसे 11 फरवरी, 1994 (पी-9) से नकारात्मक सूची से हटा दिया गया। संशोधन से पहले 13 अक्टूबर 1993 (पी-4) की अधिसूचना के जरिए मसौदा नियमों को जिसमें आपत्तियां आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था कि पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माण को 25 मई, 1993 से नकारात्मक सूची से बाहर क्यों न किया जाए। हालाँकि, इसे 11 फरवरी, 1994 में सोच-समझकर निर्णय लेकर नकारात्मक सूची से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 20 दिसंबर, 1993 से शुरू हुए इसके व्यावसायिक उत्पादन की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन किया है। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता की इकाई नियमों के नियम 28-ए के खंड 2 (सी) के अर्थ में एक नई इकाई है। याचिकाकर्ता के दावे को एलएलएससी ने 28 अक्टूबर, 1994 (पी-1) को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की इकाई 11 फरवरी, 1994 से पहले उत्पादन में चली गई थी और इसलिए वह उपरोक्त लाभों के लिए योग्य नहीं है। उपरोक्त आदेश को “एचएलएससी” द्वारा 5

अगस्त, 1998 के आदेश (पी-12) के माध्यम से बरकरार रखा गया है। इसमें 11 फरवरी, 1994 के नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है जिसमें अनुसूची III में संशोधन किया गया है, जिसमें विभिन्न आइटम शामिल हैं जो नकारात्मक सूची में हैं और प्लास्टिक सामग्री जो पहले नकारात्मक सूची में दिखाई गई थी (9 मार्च, 1992 की अधिसूचना के आइटम नंबर 18 पर, अनुलग्नक (पी) -2) उसे हटा दिया गया है। यह सच है कि याचिकाकर्ता की इकाई में उत्पादन 20 दिसंबर 1993 को शुरू हुआ है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा 11 फरवरी 1994 को एक आवेदन किया गया था जब सम दिनांक की अधिसूचना द्वारा पॉलिथीन बैग और शीट आदि पहले ही नकारात्मक सूची से हटा दिए गए थे।।

19. जैसा कि नियमों के नियम 28-ए के पूर्ववर्ती पैरा उप-नियम 4(ए) में पहले ही देखा जा चुका है, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि याचिकाकर्ता या तो वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या छूट/पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उसके विकल्प के अनुसार कर छूट का लाभ का दावा कर सकता है। उपरोक्त विकल्प अपरिवर्तनीय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा इसका दावा हमेशा पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से किया जा सकता है। नियमों के नियम 28-ए के उप-नियम 4(ए) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, खासकर जब प्रावधान की तुलना नियम 28-ए के उपनियम 3 से की जाती है। उप-नियम 3 के अवलोकन से पता चलता है कि एक विकल्प का प्रयोग पात्र औद्योगिक द्वारा इकाई को या तो कर छूट या स्थगन का लाभ पाने के लिए किया जा सकता है। यह आगे यह प्रावधान करता है कि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। फ्रेमर नियम के अगले उपनियम 4(ए) में अनिवार्य भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है यह प्रदान करके कि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। यह नोटिस करना और भी प्रासंगिक है कि अभिव्यक्ति 'होगा(shall)' का उपयोग उप-नियम 3 में किया गया जबकि उप-नियम 4(ए) अभिव्यक्ति 'हो सकता है(may)' का उपयोग करता है जो नियमों के निर्माता का इरादा भी दर्शाता है कि उप-नियम 4(ए) के तहत प्रयोग किए गए नियमों का विकल्प अपरिवर्तनीय नहीं है। यह मानना उचित है कि नियमों का नियम 28-ए राज्य में एक विशेष प्रकार के उद्योगों को रियायत देने वाला एक लाभकारी प्रावधान है। विधायी मंशा नियमों के नियम 28-ए के उप-नियम 3 और 4 (ए) की शब्दावली से स्पष्ट है। जहां कहीं भी नियमों के निर्माताओं ने नियम को अनिवार्य बनाने का इरादा किया है, उन्होंने नियमों के नियम 28-ए के उप-नियम (3) में 'होगा' शब्द का इस्तेमाल किया है और अन्यथा 'हो सकता है' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

20. याचिकाकर्ताओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित किया गया था और वास्तव में उन्हें विभिन्न लाभ जैसे उत्पादन शुरू होने की तारीख से बिजली शुल्क से छूट (पी.5), इसके द्वारा खरीदे गए जेनरेटिंग सेट पर सब्सिडी (पी.6), औद्योगिक एस्टेट, करनाल (पी.7) में औद्योगिक भूखंड का आवंटन और लगभग 10 लाख रुपये

का एचएफसी द्वारा उद्योग चलाने के लिए ऋण आदि। इसलिए, हमारा विचार है कि इस आधार पर लाभ से इनकार करना कि याचिकाकर्ता की इकाई 20 दिसंबर, 1993 को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख पर नकारात्मक सूची में थी, उचित और न्यायसंगत नहीं होगा, खासकर जब दावा करने का विकल्प दिया गया हो ऐसे लाभ या तो वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या उसके बाद की तारीख से जब पात्रता प्रमाण पत्र या छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की इकाई उस तारीख को सभी प्रकार से पात्र है जब बिक्री कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन दायर किया गया था। तदनुसार, छूट या तो पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दी जा सकती है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख को चुना है, जब वह नकारात्मक सूची में थी, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इसे पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से नहीं दिया जा सकता है क्योंकि नियम अनिवार्य नहीं है। इसलिए, हमारा विचार है कि 'एलएलएससी' पात्रता/छूट प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से बिक्री कर से छूट देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य था, जब याचिकाकर्ता के उद्योग को नकारात्मक सूची से हटा दिया गया था। तदनुसार यह माना जाता है कि एलएलएससी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 अक्टूबर 1994 (पी.10) और एचएलएससी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 5 अगस्त, 1995 (पृ.12), कानून की नजर में ठीक नहीं हैं और अलग रखे जाने योग्य हैं।

21. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप "एलएलएससी" द्वारा पारित आदेश (दिनांक 28 अक्टूबर 1994 (पृ.10) ) और एचएलएससी द्वारा पारित आदेश (5 अगस्त 1995 (पृ.12) ) को रद्द कर दिया जाता है। यह मामला वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दावे को न मानकर नियम 28-ए के उप-नियम 4 (ए) के तहत बिक्री कर छूट का लाभ देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए एलएलएससी को वापस भेजा गया। 'एलएलएससी' आवेदन की तारीख से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए।<sup>2</sup>

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा